देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ..869../भू अ0 दिनांक : 25/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–बसुआडीह, थाना–देवघर, थाना सं०– 198, अंचल–बसुआडीह, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना रोहिणी (परमेश्वर चौक) से डाबर ग्राम शहीद द्वार पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–बसुआडीह, थाना–देवघर, थाना सं०–198, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.77 वर्गफीट** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफिट)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	49	रैयती	धानी–2	0.02	प्रणय कुमार सिन्हा वो निर्णय कुमार सिन्हा पे० स्व० मदन मोहन प्रसाद वो राज कुमार सिन्हा वो रवि कुमार सिन्हा पे० स्व० विनय कुमार सिन्हा।	दाग न0 53, 106	सड़क एवं दाग नं0 44ए 45	अंश दाग नं0 अर्जित	अंश दाग नं0 अर्जित
2	1	48	रैयती	धानी–2	0.08					
3	1	36	रैयती	धानी–2	0.06					
4	1	182	रैयती	धानी–2	0.09					
5	1	181	रैयती	धानी–1	0.03					
6	4	179	रैयती	धानी–1	0.03	विकाश नारायण दूबे वो प्रकाश नारायण दूबे वो प्रताप नारायण दूबे वो राजीव दूबे वो संजीव दूबे वो विधुत दूबे पे० स्व० इन्द्र नारायण दूबे।				
7	4	178	रैयती	धानी–2	0.04	कन्हैया दूबे वो पुरूषोत्तम दूबे पे० स्व० गोपाल दूबे।				
8	9	38	रैयती	धानी–3	0.03	अनिल कुमार सिन्हा वो सुनील कुमार सिन्हा वो राजेश कुमार सिन्हा पे० स्व० पूर्ण ब्रह्म प्रसाद वो अजीत कुमार सिन्हा पे० स्व० परम ब्रह्म प्रसाद वो दिपक कुमार वो रूपक कुमार पे० स्व० अविनाशी ब्रह्म प्रसाद।				
9	9	41	रैयती	धानी–2	0.06					
10	9	42	रैयती	धानी–3	0.06					
11	9	43	रैयती	वाड़ी–2	0.15					
12	9	191	रैयती	धानी–3	0.03					
13	9	185	रैयती	धानी–2	0.03					
14	15	40	रैयती	धानी–2	0.06	शिव नन्दन दूबे पे० स्व० गिरजा दूबे वो नरेश तिवारी वो माल चन्द्र तिवारी वो राजेश तिवारी माता स्व० सावित्री देव्या वो उपेन्द्र तिवारी वो प्रदीप तिवारी वो दिलीप तिवारी माता स्व० पावो देवी वो विपीन कुमार वो मनोज कुमार वो गुड़िया कुमारी वो मुन्नी कुमारी पे० स्व० श्याम नन्दन दूबे।				
कुल रकवा–					**0.77**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

Rahul
24/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 869 / भू अ0, देवघर, दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Rahul
24/11/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।